किसानों को तहसीलवार खाद वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें : परमार

नवभारत न्यूज

पन्ना, 10 अक्टूबर। कलेक्टर ऊषा परमार ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समस्त एसडीएम एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में खाद उपलब्धता, भण्डारण एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा की और इसमें तत्काल वांछित सुधार कर किसानों को खाद वितरण की सुलभ व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

साथ ही किसानों की संबंधित तहसीलवार खाद वितरण की व्यवस्था बनाने के लिए कहा, जिससे किसानों को उनकी तहसील में ही खाद का व्यवस्थित ढंग से वितरण कराया जा सके। इस संबंध में आवश्यक सुझाव प्राप्त कर केन्द्र बढ़ाने के निर्देश भी दिए, जिससे किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े और सुगमतापूर्वक एवं सुचारू रूप से उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित हो। खाद वितरण केन्द्रों पर भीड़ प्रबंधन के दृष्टिगत भी आवश्यक उपाय के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसके अलावा टोकन एवं खाद वितरण का समय निश्चित कर किसानों को आधार के स्थान पर प्राथमिक रूप से पट्टे उपलब्ध कराने पर ही टोकन वितरित करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार, 13 अक्टूबर से सुबह 9.30 बजे से 10.30 बजे तक किसानों को

टोकन वितरित किए जाएंगे, जबकि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खाद का वितरण होगा। कलेक्टर ने सभी केन्द्रों पर छाया और पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया। उप संचालक कृषि को प्रत्येक केन्द्रों पर कर्मचारियों की तैनाती करने तथा एसडीएम को कानून व्यवस्था का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा। इसके अलावा वेयरहाउस, नागरिक आपूर्ति निगम और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को भी जरूरी समन्वय सहित आवश्यक निर्देश दिए गए। समस्त एसडीएम को खाद वितरण केन्द्रों के सतत निरीक्षण के लिए निर्देशित किया गया।

बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने टोकनधारी किसानों को खाद मिलने के बाद ही दोबारा स्लॉट में टोकन वितरण करवाने तथा विभिन्न स्तर पर विभागीय समन्वय सहित किसानों को खाद वितरण संबंधी जानकारी से विभिन्न माध्यमों से अवगत कराने के लिए कहा।

धान पंजीयन व्यवस्थाओं की समीक्षा

कलेक्टर ने बैठक में आगामी दिवसों में धान उपार्जन के दृष्टिगत वर्तमान में संचालित किसान पंजीयन व्यवस्था की समीक्षा भी की। इस मौके पर अब तक पंजीकृत किसानों की जानकारी लेकर आगामी दिनों में उपार्जन केन्द्रों के निर्धारण, स्कंध परिवहन सहित फसल के भण्डारण और समय पूर्व अन्य आवश्यक तैयारियां भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के साथ नियत समय-सीमा में भंडारण की कार्ययोजना भी तैयार कर लें। इस कार्य में लापरवाही पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही होगी। इसके लिए प्रतिदिन की गई कार्यवाही से अवगत कराने के लिए भी कहा तथा आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि खरीदी शुरू होने के पूर्व संबंधित अधिकारी प्रस्तावित उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण कर लें।

मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग परीक्षा में ज्योति त्रिपाठी का चयन

नवभारत न्यूज

सलेहा/पन्ना 10 अक्टूबर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सहायक प्रध्यापक समाज शास्त्र विषय की चयन सूची जारी की गई है, जिसमें सलेहा समीपस्थ ग्राम मगरैला तहसील गुन्नौर निवासी बहिन श्रीमती ज्योति त्रिपाठी पिता रामबली त्रिपाठी शिक्षक का चयन सहायक प्राध्यापक पद पर हुआ है।

वर्तमान में बहिन त्रिपाठी सामाजिक न्याय कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी पद पर शासकीय सेवा उचेहरा सतना में कार्यरत होकर परिवारिक जिम्मेदारियों के साथ कठिन परिश्रम कर गांव की बेटी ने यह उपलब्धि प्राप्त की है, इस उपलब्धि में परिजनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है।

निर्दोष दवा विक्रेताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही के विरोध मे सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज

पन्ना 10 अक्टूबर। जिला औषधि विक्रेता संघ पन्ना ने छिंदवाड़ा जिले के परासिया मे निर्दोष दवा विक्रेताओं के विरोध मे की कार्यवाही मे कलेक्टर पन्ना को ज्ञापन सौंपा है। जिसमें उल्लेख है किया गया है कि पन्ना जिला औषधि विक्रेता संघ के सभी सदस्य परासिया प्रकरण में दिवंगत बच्चों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करते हैं तथा उनके परिवारजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं।

तथापि इस दु:खद घटना के परिप्रेक्ष्य में यह निवेदन अत्यावश्यक है कि औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 तथा औषधि एवं प्रसाधन नियमए 1945 के अंतर्गत औषधियों की गुणवत्ताए संरचनाए निर्माण एवं परीक्षण की संपूर्ण विधिक जिम्मेदारी निर्माता एवं नियंत्रण प्राधिकरण पर निर्धारित है। तमिलनाडु शासन द्वारा की गई जांच में यह तथ्य विधिवत् प्रमाणित हुआ कि विवादित कफसिरप का निर्माण मेसर्स श्रीसन फार्मा द्वारा किया गया था जिसमें औद्योगिक श्रेणी के प्रॉपलीन ग्लाइकोल का उपयोग पाया गया जो कि स्पष्टत: गंभीर निर्माण स्तर की त्रुटि है। यह दोष न तो विक्रय स्तर पर उत्पन्न हुआ और न ही इसमें किसी भी दवा विक्रेता की कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका रही है। हमारे सभी सदस्य अधिकृत विक्रेताओं/निर्माताओं से विधिवत् बिल पर औषधियों की क्रय-विक्रय करते हैं तथा केवल चिकित्सक के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही पैक्ड औषधियों का वितरण करते हैं। दवा विक्रेता किसी भी औषधि की निर्माण प्रक्रियाए संयोजन या गुणवत्ता नियंत्रण में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं रखतेय अत: निर्माता की त्रुटियों के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराना पूर्णत: अन्यायपूर्ण एवं विधि-विरुद्ध है। जब तक किसी दवा विक्रेता की प्रत्यक्ष लापरवाही या दोष साक्ष्य के साथ सिद्ध न हो जाए तब तक उनके विरुद्ध की जा रही दमनात्मक या अनुशासनालाक कार्रवाई को तात्कालिक रूप से स्थगित किया जाए।

कनिष्ठ यंत्री ने सलेहा का संभाला पदभार

सलेहा/पन्ना 10 अक्टूबर। विद्युत वितरण केंद्र सलेहा में कनिष्ठ यंत्री विकास कुमार गुप्ता द्वारा उपस्थिति होकर पदभार ग्रहण किया, विद्युत विभाग मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के निर्देशानुसार दिए गए आदेशानुसार विकास कुमार गुप्ता का स्थानांतरण रैपुरा से सलेहा के लिए किया गया जिस पर श्री गुप्ता द्वारा 10 अक्टूबर को सलेहा का पदभार लिया गया, इस दौरान विभाग द्वारा दिये गये लक्ष्य के परिपालन में वितरण केंद्र में समस्त कर्मचारीयों की बैठक ली गई, जिसमें सभी को निर्देशित किया गया कि पेमेंट काउंट 10 प्रतिशत बढ़ाने, कलेक्शन बढ़ाने, लाइन में ट्रिपिंग कम करने, सीएम हेल्पलाइन समाधान की शिकायत को संतुष्टि पूर्वक बंद करने, अस्थाई कनेक्शन का उचित लोड के अनुसार कनेक्शन प्रदान करना इत्यादि आंकड़े पर कार्य करने और लक्ष्य पूर्ण करनें हेतु निर्देश दिए गए।

जल निगम के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से किया रक्तदान

नवभारत न्यूज

पन्ना 10 अक्टूबर। म.प्र. जल निगम क्रियान्वयन इकाई पन्ना एवं जल निगम द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत सिंघौरा-2 समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन के लिए नियुक्त कार्यदायी संस्था कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा कंपनी के चेयरमैन मोफ्तराज पी. मुनोत के 81वें जन्मदिन के अवसर पर कार्यालय में रक्तदान शिविर लगाया गया।

इस अवसर पर संयुक्त रूप से रक्तदान किया गया। कार्यक्रम में जल निगम के महाप्रबंधक तथा कंपनी के परियोजना प्रबंधक पतिराम सिंह के साथ जल निगम की उप प्रबंधक रागिनी सिन्हा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कंपनी के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अमरजीत कुमार मेहता ने बताया कि प्रतिवर्ष जन्म दिन के अवसर पर एक सप्ताह तक शिक्षा, स्वास्थ्य व पर्यावरण को समर्पित विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी क्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कुल 28 कर्मचारियों ने रक्तदान कर एकता और सद्भावना का परिचय दिया।

मासूम की पानी के टैंक में डूबने से मौत, जांच जारी

नवभारत न्यूज

शाहनगर/पन्ना 10 अक्टूबर। पन्ना जिला के शाहनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुरैना में गुरुवार रात्रि एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के 7 वर्षीय हनुमत सिंह पिता नरेश सिंह की पानी के टैंक में डूबने से मौत हो गई।

मृतक के पिता नरेश सिंह ने आज शुक्रवार सुबह 10 बजे बताया कि बालक शाम के समय मोहल्ले में खेल रहा था, लेकिन जब देर रात तक घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने गांव में तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान वह एक निर्माणाधीन मकान के पानी के टैंक में मिला। घटना की जानकारी लगते ही शाहनगर पुलिस मौके पर पहुंची, और बालक का शव पुलिस की मौजूदगी में टैंक से बाहर निकाला गया। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को सीएचसी शाहनगर भेजा, जहाँ पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया। फ़िलहाल शाहनगर पुलिस ने मार्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में इस घटना के बाद मातम का माहौल छाया हुआ है।

स्कूली बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, आधा दर्जन बच्चे घायल

नवभारत न्यूज

अमानगंज/पन्ना 10 अक्टूबर। पन्ना जिले के अमानगंज थाना अंतर्गत आने वाले राम नगर के पास दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहाँ एक मिनी स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें सवार करीब आधा दर्जन स्कूली छात्र-छात्राये घायल हुए है, जिन्हें डायल 112 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमनगंज में भर्ती करवाया गया है।

वहीं जानकारी लगने के बाद मौके पर अमानगंज थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य मे जुट गये है। बताया जा रहा है कि सरस्वती

गायत्री मंदिर विद्यालय झरकुआ की मिनी बस क्रमांक - एमपी - 16, पी - 0138 जो बांधी, बर्बसपुरा, भानपुर एवं भररपुर से स्कूली छात्र-छात्राओं को लेकर झरकुआ स्कूल जा रही थी तभी रामनगर के पास बनी पुलिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मत गई सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज में भर्ती कराया गया है। बस में सवार छात्रा शालिनी रजक ने बताया कि स्कूल बस रोज की तरह आज शुक्रवार 10 अक्टूबर को बच्चो को लेकर स्कूल जा रही थी जिसमे करीब 30 छात्र-छात्राये बैठे हुए थे। अचानक पुलिया पर अनियंत्रित होकर पलट गई, यह घटना 10 से साढे 10 बजे के बीच मे हुई है। फ़िलहाल सभी घायलो का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज में जारी है। बताया जा रहा है की घटना के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे में पारस पिता कुंजी साहू उम्र 10 बर्ष निवासी बांधी कला, पवन ढीमर पिता राज ढीमर उम्र 12 बर्ष बर्बसपुरा, महेंद्र साहू उम्र 7 बर्ष बंधिकला, अमित पिता कल्ली बंसकर उम्र 13 बर्ष बर्बसपुरा, आयूषी अहिरवार पिता मुकेश उम्र 11 निवासी बर्बसपुरा, अमित पिता बसन्ता रजक उम्र 7 बर्ष बर्बसपुरा, अशोक अहिरवार पिता मोहन लाल निवासी झरकुआ 1 शिक्षक घायल है।

कलेक्टर ने खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिए किया दल का गठन

नवभारत न्यूज

पन्ना 10 अक्टूबर। कलेक्टर ऊषा परमार ने आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य व औषधि प्रशासन कार्यालय के निर्देशानुसार आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत खाद्य प्रतिष्ठानों के सघन निरीक्षण और आवश्यक होने पर मिलावट की रोकथाम के उद्देश्य से नमूना लेने की कार्यवाही के लिए दल का गठन किया है।

गठित दल में अपने क्षेत्र अंतर्गत तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित नापतौल निरीक्षक तथा दुग्ध संघ के प्रभारी अधिकारी व पर्यवेक्षक को शामिल किया गया है। दल द्वारा संबंधित तहसीलदार के मार्गदर्शन में विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ, मावा, मिठाईयां, घी, तेल, मसाले, फूड गिफ्ट हेम्पर, ड्राय फ्रूट्स, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, सेलीब्रेशन पैक, ब्रांडेड स्वीट्स इत्यादि खाद्य पदार्थों पर चलित खाद्य प्रयोगशाला एवं चेकिंग प्वाइंट बनाकर विशेष रूप से निगरानी रखी जाएगी।

किसी भी प्रकार की अनियमितता व मानक के अनुसार खाद्य सामग्री न होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अधिनियम अनुसार प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान तहसीलदार कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल का सहयोग भी ले सकेंगे।

ड्रग इंस्पेक्टर ने की मेडिकल स्टोरों की जांच

लिए सेम्पल, कई मेडिकल स्टोर बंद कर हुए नदारद

नवभारत न्यूज

पन्ना 10 अक्टूबर। आज कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय मे ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा कुछ मेडिकल स्टोरों की जांच कर सेम्पल लिये। जिसकी सूचना मिलते ही कई मेडिकल स्टोर संचालक अपने अपने मेडिकल स्टोर बंद कर नदारद हो गये।

हासिल जानकारी के अनुसार कलेक्टर पन्ना श्रीमती ऊषा परमार के आदेशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजेश कुमार तिवारी के निर्देशन में जिला स्तरीय टीम जिसमे पन्ना औषधि निरीक्षक श्रीमती महिमा जैन मुख्यालय दमोह एवं जिला स्टोर प्रभारी राजेश तिवारी द्वारा पन्ना जिले में संचालित विभिन्न मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई। जिसमें दीक्षित मेडिकल अजयगढ़ चौराहा, कमल मेडिकल एंड जनरल एजेंसी गोविंद चौक, रेड क्रॉस मेडिकल अस्पताल के सामने आलोक मेडिकल,न्यू श्री जी मेडिकल अस्पताल के पास, जय मेडिकल एजेंसी उपरोक्त मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट की उपलब्धता, प्रतिबंधित ड्रग कांबिनेशन, दवाइयां का क्रय विक्रय रिकॉर्ड, अवमानक दवाइयां की अनुपलब्धता, शेड्यूल एच1 रिकॉर्ड की जांच की गई एवं दवाइयों की गुणवत्ता की जांच हेतु 5 नमूने शासकीय प्रयोगशाला भोपाल भेजे गएद्य जिला स्तरीय टीम द्वारा जिले मे संचालित मेडिकल स्टोर में निरंतर जांच की कार्यवाही की जा रही हैं एवं अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

पीएम आवास योजना में मिलेगा अधिकतम एक लाख 80 हजार रुपए का लाभ

नवभारत न्यूज

पन्ना 10 अक्टूबर। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (आईएसएस) का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न आय वर्ग के पात्र हितग्राही आवास क्रय अथवा निर्माण पर होम लोन की ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 3 लाख रूपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार ई.डब्ल्यू.एस., 3 से 6 लाख रूपए की वार्षिक आय वाले परिवार एल.आई.जी. तथा 6 से 9 लाख रूपए की वार्षिक आय वाले परिवार एम.आई.जी. श्रेणी के तहत पात्र हैं।

इस योजना के लाभ के लिए आवेदक का भारत में कहीं भी स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का आवास नहीं होना चाहिए। आवेदक के परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी। अविवाहित बेटे-बेटियों को पृथक से लाभ नहीं मिलेगा। गत 20 वर्ष में शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक भी इस स्कीम के लिए पात्र नहीं है। इच्छुक हितग्राही भारत सरकार के यूनीफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम में परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 9 लाख रूपए निर्धारित है। अधिकतम 25 लाख रूपए तक गृह ऋण लिया जा सकता है। आवास का अधिकतम मूल्य 35 लाख रूपए तथा अधिकतम कॉरपेट क्षेत्र 120 वर्गमीटर होना चाहिए। प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी निर्धारित है। इसकी अधिकतम राशि एक लाख 80 हजार रूपए है।

समूह से जुड़कर आरती ने पति को बनाया मालिक

नवभारत न्यूज

पन्ना 10 अक्टूबर। म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पन्ना अंतर्गत गुनौर विकासखण्ड के ग्राम शाला निवासी आरती राजपूत ने स्वसहायता समूह से जुड़कर आर्थिक सशक्तीकरण की राह प्रशस्त की है। संयुक्त परिवार में निवासरत आरती वर्ष 2016 में आजीविका मिशन की गतिविधियों से जुड़ीं और धीरे-धीरे अपने लगन व परिश्रम के जरिए परिवार का संबल बनीं।

स्वसहायता समूह के माध्यम से आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होने के साथ ही बच्चों की बेहतर पढ़ाई का सपना भी साकार हुआ। आरती ने बताया कि पहले मेरे ड्राइवर पति की आय से बमुश्किल परिवार का खर्च चलता था, लेकिन समूह से जुड़ने के बाद स्वयं की आमदनी बढ़ाने के लिए समूह से एक लाख रूपए का ऋण लिया एवं स्वयं की कुछ राशि से टाटा मैजिक वाहन

खरीदा और वाहन को किराए पर चलाना प्रारंभ कर दिया। इससे मेरी मासिक आय बढ़कर 10 से 15 हजार रूपए होने लगी और मेरे पति को भी स्वरोजगार मिला। ऋण राशि पूर्ण रूप से समूह में जमा करने के बाद दूसरी बार समूह से ही सीसीएल का 2 लाख रूपए ऋण लिया और एक अन्य मैजिक वाहन खरीदा एवं इस ऋण को चुकता करने के बाद पुन: तीसरी गाड़ी के लिए 2 लाख रूपए समूह से ऋण प्राप्त किया। अब तीनों गाड़ियों से शुद्ध मासिक आय 30 से 35 हजार रूपए तक हो जाती है। आरती द्वारा नियमित रूप से राशि की वापिसी भी प्रतिमाह किस्तों में की जा रही है।

प्रत्येक मेडिकल शॉप में फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य : परमार

नवभारत न्यूज

पन्ना 10 अक्टूबर। कलेक्टर ऊषा परमार ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभागार में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान जिले में संचालित 400 से अधिक मेडिकल स्टोर्स के सघन निरीक्षण के लिए निर्देशित किया गया।

कलेक्टर श्रीमती परमार ने कहा कि समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने क्षेत्रांतर्गत संचालित मेडिकल स्टोर्स के निरीक्षण के समय फार्मासिस्ट की उपस्थिति सहित दवाओं के स्टॉक और संधारित पंजी एवं रिकार्ड का अवलोकन अवश्य करें। साथ ही चेक लिस्ट अनुसार प्रत्येक बिंदुओं पर निरीक्षण की कार्यवाही की जाए। सभी दवा की दुकानों में फार्मासिस्ट की निगरानी एवं देखरेख में ही दवाओं का विक्रय होना चाहिए। बैठक में उपस्थित औषधि निरीक्षक महिमा जैन को भी प्रशासनिक अधिकारियों के सत्त संपर्क एवं समन्वय में रहकर आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि किसी भी मेडिकल शॉप पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक रहेगी।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के संबंध में की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के बारे में भी आवश्यक जानकारी दी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे सहित समस्त एसडीएम भी उपस्थित रहे।

साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के दो आरोपी झारखण्ड से गिरफ्तार

आठ लाख नगद सहित 16 लाख की मशरुका जब्त

नवभारत न्यूज

पन्ना 10 अक्टूबर। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में पन्ना पुलिस द्वारा ऑनलाइन ठगी के एक गंभीर प्रकरण में बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। पन्ना पुलिस द्वारा थाना पवई में करीब 14 लाख रूपये की सायबर ठगी के मामले में दर्ज अपराध धारा 318(4) बी एन एस में साइबर ठगी करने वाले झारखण्ड के अंतर्राज्यीय शातिर सायबर अपराधियों की गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।

एसपी पन्ना श्रीमती नायडू ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में फरियादी अशोक कुमार सोनी निवासी ग्राम सिमरिया गुलाब सिंह, हाल निवासी वार्ड क्रमांक 10 पवई ने थाना पवई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोबाइल के माध्यम से स्वयं को एसबीआई कार्ड अधिकारी बताकर उनके बैंक खाते से करीब 14 लाख रूपये की ऑनलाइन ठगी की गई है। पुलिस

ने 02 संदेहियों को पुलिस टीम द्वारा ग्राम ऊपर बिलेरिया, थाना पथरौल, जिला देवघर (झारखंड) से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस अभिरक्षा में लिये गये संदेहियों हसन रजा पिता मोहम्मद शकील अंसारी उम्र 27 साल निवासी ग्राम कसईया थाना पथरौल जिला देवघर झारखण्ड, इरफान अंसारी पिता अताउल अंसारी उम्र 25 साल निवासी ग्राम उपर बिलेरिया थाना पथरौल जिला देवघर झारखण्ड से पूँछताछ किये जाने पर उक्त संदेहियों द्वारा अपराध कारित किया जाना स्वीकार किया गया।

पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के बताये अनुसार आरोपियों के कब्जे से फ्रॉड की गई राशि में से 08 लाख 50 हजार रूपये नगद, सोना 18 ग्राम, 01 कि ग्रा. चाँदी, 01 लैपटॉप, 10 मोबाइल (01 मोबाइल फ्रॉड की राशि से शेष 09 उपयोग किये गये मोबाइल), 15 सिमकार्ड, चेकबुक/पासबुक, एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज सहित करीब 16 लाख रूपये का मशरूका जप्त किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में 02 अन्य आरोपी गिरफ्तार होना शेष है। मामले में विवेचना जारी है।